



फ्रं.क-र 5825 विरगोन
 नि.ला. 22/1/19
 प्रस्तुति- 21/2/19

(177)

जी.पि.सुखवर्म
 को.प्र.सू.मं.अ.प्र.
 को.प्र.सू.मं.अ.प्र.
 21-2

न्यायालय राजत्व मंडल (म.प्र.)

कैलाश / पुनर्स्थापन-0285/2019/खरगोन/अ.प्र.स.
 = प्रार्थी

वि.

राधेश्याम शंभर - प्रत्यर्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 35(3) म.प्र.भू.सं.वि.सं.द्वारा
 मंजूर

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि

- (1) यह कि प्रकरण में पूर्व पेशी दि. 22/1/19 नियम-
 सी-344 के अन्तर्गत प्रकरण अदालत चैरवी में भिन्न
 किया गया है।
- (2) यह कि प्रार्थी की ओर से इस निगरानी के अतिरिक्त
 दो अन्य निगरानी कैलाश खमोल्द एवं कैलाश शंभर
 भी इसी के साथ प्रकरण की गई थी. उस तीन प्रकरण
 एक ही प्रार्थी में सम्बन्धित है। ~~उक्त प्रार्थी की ओर से~~
 उक्त अभिभाषक दि. 22/1/19 को प्रकरणों में उपस्थित हुए थे
 कि-र-344 के कैलाश खमोल्द में उपस्थित एवं
 पेशी दि. 13/3/19 प्रकरण की गई थी किन्तु सुधीवर्म इस
 प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए। उपरोक्त निमित्त प्रकरण
 अउपस्थिति में निरस्त कर दिया गया था।
- (3) यह कि प्रकरण में प्रार्थी की अउपस्थिति महत्वपूर्ण
 है। अन्वय किये जाने योग्य है।
- (4) यह आवेदन नीज के प्रकरण को पुनर्स्थापित
 किया जाना न्यायालय में आवश्यक है।

अतः न्यायालय में निवेदन है कि आवेदन नीज के
 प्रकरण को पुनर्स्थापित किया जावे

दि. 21/2/19

प्रस्तुतकर्ता
 श्री-जी.पि.सुखवर्म
 प्रार्थी के आगे



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग अ

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक:पुनर्स्थापन -0285/2019/खरगौन/भू-रा.....

तहसील:

जिला:खरगौन....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का

प्रकरण :

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण

क्रमांक:

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण

क्रमांक:

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण

क्रमांक :

तहसील का प्रकरण क्रमांक:

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो :निगरानी/5825/2018/खरगौन/भूरा,....

वाद का विषय:पुनर्स्थापन

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत

प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है :म.प्र.भू.रा.संहिता.....

स्थान • एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....खरगौन.... ।के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...22/01/2019... के विरुद्ध ...कैलाश...।...राधेश्याम...।...पियूष वर्मा... के अभिभाषक द्वारा पुनर्स्थापन - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।</p> <p>प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...13/03/2019...है। जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है</p> <p>13-3-2019 आदेश के आदेश से श्री पियूष वर्मा, अग्रिम पत्र आदेश/अपीलीय/उन्हें पुनर्स्थापन आदेश पत्र पर उक्त अग्रिम पत्रादेश से पुनर्स्थापन आदेश पत्र ग्राह्य/दिनांक प्राप्त है। उक्त पत्रादेश दिनांक निगरानी 5825/2018/खरगौन/भू.रा. उक्त आदेश के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रकरण समाप्त किया गया है</p>	<p>13/3/19</p>